

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-24/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० श्वेता रानी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, कटिहार के द्वारा दिनांक-16.09.2020 से 08.10.2021 तक के अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है.-

1	दिनांक-16.09.2020 से 31.08.2021 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय पत्रांक-2045(2) दिनांक-30.11.2011)
2.	दिनांक-01.09.2021 से 08.10.2021 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-24/2026 900 (2)

पटना, दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार / कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, कटिहार/ डा० श्वेता रानी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Waman Kumar Pathak
सरकार के उप सचिव।